# योजना एवं विकास विभाग

| क्र0 सं0 | योजना, कार्यक्रम एवं सेवाऐं | योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ | लोक प्राधिकार जिनके स्तर पर परिवादी का निवारण होगा |
|---|---|---|---|
| 1. | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना | 1.मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देष्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है।<br>2.विधान मंडल के माननीय सदस्यगण इस योजना अंतर्गत किए जाने वाले आवष्यक कार्यो के विषय में सरकार को अपनी वार्षिक अनुमान्यता राषि के अधीन अपनी अनुषंसा प्रेषित करते हैं।<br>3.मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजनाओं की प्रषासनिक स्वीकृति जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है।<br>4.इस योजनान्तर्गत माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल द्वारा अनुषंसित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन एक अभियंत्रण संगठन (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन) गठित है। | जिला योजना पदाधिकारी |
| 2. | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 1.संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके लिए शतप्रतिषत राषि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।<br>2.संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सामुदायिक परिसम्पतियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यो की अनुषंसा करते है।<br>3.संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजनाओं की प्रषासनिक स्वीकृति जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है।<br>4.इस योजना का क्रियान्वयन भी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। | जिला योजना पदाधिकारी |
| 3. | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 1.सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2015–16 से पूर्व इस मद में शतप्रतिषत राषि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। वर्ष 2015–16 से 60 प्रतिषत राषि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांष के रूप में एवं 40 प्रतिषत राषि राज्य सरकार द्वारा राज्यांष के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का राज्य स्तर पर नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग है। | जिला योजना पदाधिकारी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2.बिहार राज्य के 7 (सात) सीमावर्ती जिलों में यह कार्यक्रम लागू है। अंतराष्ट्रीय सीमा (भारत नेपाल बार्डर) से 0–10 कि0मी0 की दूरी के अंदर अवस्थित सभी गांव/षहर इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में आच्छादित है। सीमावर्ती जिलों के गॉवों/षहरों में आधारभूत संरचना, षिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, समाज कल्याण एवं कौषल विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है।<br>3.सीमा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजनाओं की प्रषासनिक स्वीकृति जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है।<br>4.इस योजना का क्रियान्वयन भी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। | |
| 4. | जिला नवाचार निधि | यह योजना बंद है। | |
| 5. | राज्य नवप्रर्वतन योजना | | |
| 6. | कोसी पुर्नवास एवं पुनर्निर्माण योजना | | अपर परियोजना निदेषक, कोषी आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी |
| 7. | एकीकृत कार्य योजना /विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना | यह योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना थी। इस योजना का क्रियान्वयन योजना एवं विकास विभाग के द्वारा पूर्व में किया जाता था। यह योजना 2015 में बंद कर दी गई। **वर्तमान में इसी योजना का नाम परिवर्तित करते हुए वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विषेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना कर दिया गया है।**<br><br>1.विषेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का राज्य स्तर पर नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग है।<br>2.गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वामपंथ उग्रवाद के विरूद्व सामाजिक आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की कमी की पूर्ति हेतु अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए ''विषेष केन्द्रीय सहायता (SCA)'' लागू किया गया है, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए छः जिलों यथा औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, मुजफ्फरपुर एवं बांका तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 से चार जिलों यथा औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को शामिल किया गया है।<br>3.विषेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना अंतर्गत योजनाओं की प्रषासनिक स्वीकृति जिला | जिला पदाधिकारी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। | |
| 8. | राष्ट्रीय सम विकास योजना | यह योजना बंद हो चुकी है। | |
| 9. | पंचायत सरकार भवन एवं ई किसान भवन(क्रियान्वयन संबंधी) | पंचायत सरकार भवन पंचायती राज विभाग एवं ई0 किसान भवन कृषि विभाग की योजना है। जिसका अनुश्रवण उक्त विभागों के द्वारा ही किया जाता है। इस योजनाओं का क्रियान्वयन योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत गठित अभियंत्रण संगठन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। | कार्यपालक अभियंता |
| 10. | जन्म मृत्यु पंजीकरण / कृषी गणना / पशु गणना / फसल कटनी / वर्षा मापक यंत्र–अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना | **1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए–**<br>**प्रखण्ड स्तर पर–**<br>प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी– अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>**जिला स्तर पर–**<br>जिला सांख्यिकी पदाधिकारी– अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>जिला पदाधिकारी– जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>**2. शहरी क्षेत्रों के लिए–**<br>प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)–नगर पंचायतों के लिए।<br>सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)–नगर निगम, नगर परिषद के लिए।<br>कार्यपालक पदाधिकारी– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)– छावनी परिषद् के लिए।<br>**जिला स्तर पर–**<br>जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>जिला पदाधिकारी– जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>**3. स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाईयों के लिए–**<br>अधीक्षक / उपाधीक्षक– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)– चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / सदर अस्पताल / अनुमंडलीय / रेफरल अस्पताल के लिए।<br>प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी– रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए। | निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय / जिला सांख्यिकी पदाधिकारी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **जिला स्तर पर–**<br>जिला सांख्यिकी पदाधिकारी– अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)<br>जिला पदाधिकारी– जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) | |
| 11. | स्वयं सहायता भत्ता (मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम संबंधी) | 1.इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20–25 वर्ष के वैसे बेरोजगार युवक/युवतियों जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है एवं उसके पष्चात उच्चतर षिक्षा हेतु अध्ययनरत नहीं है और ना ही उच्चतर षिक्षा प्राप्त किये है, को रोजगार तलाषने के दौरान सहायता के तौर पर 1000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षो के लिए स्वयं सहायता भत्ता दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।<br>2.आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये, जहाँ के जिला निबंधन एवं परामर्ष केन्द्र में वह आवेदन जमा कर रहा है।<br>3.योजना के संचालन हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्ष केन्द्र का निर्माण कराया गया है। जहाँ पर उक्त योजना से संबधित आवेदकों का ऑनलाईन निबंधन एवं कागजों का सत्यापन किया जाता है।<br>4.इसके लिए एक web Portal- www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in विकसित किया गया है।<br>5.जिला निबंधन एवं परामर्ष केन्द्र पर नियोजित SWO/MPA द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेषन किया जाता है। तत्पष्चात् सहायक प्रबंधक द्वारा आवेदन की जाँच करते हुए इसे प्रबंधक स्तर पर भेजा जाता है। प्रबंधक द्वारा आवेदन स्वीकृति के उपरांत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के लॉगिन पर भेजा जाता है। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरांत लाभुको के खाते में भत्ता का अंतरण कर दिया जाता है। | जिला पदाधिकारी |